



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266284  
CG-DL-E-22092025-266284

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर, 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 616]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/ BHADRA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 700(अ).—मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) संशोधन नियम, 2025 के प्रारूप को, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 548 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को, तीस दिनों के अवसान से पूर्व, उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 13 अगस्त, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप-धारा (4) और धारा 64 के खंड (त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के, नियम 5 में, खंड (क) के, आरंभिक भाग में, "वह ऐसा व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कंपनी हो" शब्दों के पश्चात्, "(जहाज तोड़ने और पुनर्चक्रण, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अन्य के लिए पुनर्चक्रणकर्ता सहित)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[सं. आरटी-23013/01/2019(खंड 1)-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 (अ) तारीख 15 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19 September, 2025.

**G.S.R. 700(E).**—Whereas, draft of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2025 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 548 (E), dated the 13<sup>th</sup> August, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13<sup>th</sup> August, 2025;

And, whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, in rule 5, in clause (a), in the opening portion, after the words "be it a person, firm, society, Company", the brackets and words "(including recyclers for ship breaking and recycling, plastic recycling and others)" shall be inserted.

[No. RT-23013/01/2019(Vol.1)-T]

MAHMOOD AHMED, Add. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 653 (E), dated 23<sup>rd</sup> September, 2021 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 212 (E), dated 15<sup>th</sup> March, 2024.